

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

5-62
18 MAR 2015

क्रमांक:पं0 14(2)चिस्वा/2/15

जयपुर,दिनांक: 17-3-15

परिपत्र

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक पं0 9(8)चिस्वा/2/05 दिनांक 14.11.2005 के अतिक्रमण में औषधि एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं 1945 के अन्तर्गत औषधि विक्रेताओं को नये लाईसेंस जारी करने हेतु दुकानों का निरीक्षण करने के लिये सहायक औषधि नियंत्रक को अधिकृत किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(महावीर सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
4. औषधि नियंत्रक(प्रथम/द्वितीय), औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
6. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, द्वारा औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
7. समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
9. सर्वर रूम, निदेशालय।
10. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राज0 जयपुर

क्रमांक : डीसी/ई-1/एफ-23/2015/120
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

दिनांक 20/3/2015

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज0 जयपुर को आदेश के पृष्ठांकन में जारी निर्देशों की पालना के सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ।
2. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
3. समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान
4. प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय मु0 को भेजकर लेख है कि जारी आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावे।

(अशोक भण्डारी)
औषधि नियंत्रक,
राज0 जयपुर।